भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1827
(दिनांक 17.03.2022 को उत्तर देने के लिए)

सोशल मीडिया चैनलों पर झूठी खबरें

1827. श्री नीरज डांगी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों से अब तक देश में कितने सोशल मीडिया चैनलों को ब्लॉक किया गया है, जिनके द्वारा झूठी खबरें फैलाई जा रही थी;

(ख) वर्तमान में ऐसे कितने चैनल हैं जिन्हें सरकार द्वारा अभी तक ब्लॉक किया जाना बाकी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) झूठी खबरें फैलाने वाले चैनलों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में या सार्वजनिक व्यवस्था या उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध को उकसाने की संभावना को रोकने के लिए कंप्यूटर संसाधनों पर सूचना की सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए निदेश जारी करने का अधिकार देती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान 56 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने के निदेश जारी किए हैं।

इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मैटी) ने सूचित किया है कि विगत दो वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के तहत ब्लॉक किए गए यूआरएल की संख्या 15945 है, जिसमें वेब पेज, वेबसाइटें, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पेज, आदि शामिल हैं।

****